

प्रेषक,

आनन्द बर्दान,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर महानिदेशक (वन्य जीव),
स्टेन्डिंग कमेटी, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक
वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून
पञ्जीकरण नं० ६३४/१८
पञ्जीकरण दि० ०२/०८/२०२०

वन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक ३/ अगस्त, 2020

विषय-उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी राजि के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी तल से चुगान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी राजि के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी तल से चुगान के सम्बन्ध में प्रस्ताव को उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 29 जून, 2020 में विचारार्थ रखा गया था, सम्यक विचारोपरांत राज्य वन्यजीव सलाहकार परिषद द्वारा इस प्रकरण को राष्ट्रीय वन्यजीव सलाहकार परिषद के विचारार्थ रखे जाने हेतु अनुमोदित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

2- अतः उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव सलाहकार परिषद की उक्त सहमति के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या-608/12-1, दिनांक 21.08.2020 द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव को निर्धारित प्रपत्र/भाग-05 पर अनुमोदन के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव सलाहकार परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से राज्य सरकार को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(आनन्द बर्दान)
प्रमुख सचिव

संख्या-1699 /X-2-2020-19(24)2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

C.P.O.
कृ० आनन्द बर्दान

CLIPPER DELIVERY SYSTEM LITER-800

प्र० व० सं० (ब० ज० ०)
५०१०९१२०

(आनन्द बर्दान)
प्रमुख सचिव

मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 29 जून 2020 को सम्पन्न उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक मा० मुख्यमंत्री जी व प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा मा० वनमंत्री जी व प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, द्वारा मा० मुख्य सचिव का स्वागत किया गया। स्वागत किये जाने के उपरान्त मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक के एजेण्डे पर प्रकाश डाला गया।

सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, वन द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी व प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा मा० वनमंत्री जी व प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, द्वारा मा० मुख्य सचिव का स्वागत किया गया। स्वागत किये जाने के उपरान्त मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक के एजेण्डे पर प्रकाश डाला गया।

सर्वप्रथम दिनांक 26 नवम्बर 2019 को आयोजित बैठक के प्रस्तावों पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई।

एजेण्डा सं० 1-क

(क) कॉर्बेट टाईगर रिजर्व व राजाजी टाईगर रिजर्व में बाघों व जंगली हाथियों की धारण क्षमता का निर्धारण।

अवगत कराया गया कि कॉर्बेट टाईगर रिजर्व व राजाजी टाईगर रिजर्व में बाघों व जंगली हाथियों की धारण क्षमता के निर्धारण के अध्ययन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि शीघ्र अग्रोत्तर कार्यवाही करते हुए आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाय।

(ख) संरक्षित क्षेत्रों के बाहर उपयुक्त वन क्षेत्रों में एंगलिंग हेतु अनुमति दिये जाने संबंध में।

बोर्ड द्वारा पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) से यह अपेक्षा की गयी कि उनके द्वारा एंगलिंग पर रोक संबंधी जारी किये गये आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाय एवं प्रगति से आगामी बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाय।

एजेण्डा सं० 1-ख:- उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 14 वीं बैठक जो 26 नवम्बर, 2019 को सम्पन्न हुई, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत एवं संरक्षित क्षेत्रों के 10 कि०मी० परिधि में आने वाले वन भूमि हस्तान्तरण एवं अन्य प्रकरणों से सम्बन्धित हैं, की

अनुपालन आख्या का संज्ञान लिया गया। बोर्ड द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी/यूजर एजेंसी के स्तर पर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने बताया कि दिनांक 26 नवम्बर 2019 को सम्पन्न बैठक में कुल 13 प्रकरण प्रस्तुत किये गये थे। जिनमें से 3 प्रकरण राज्य वन्यजीव बोर्ड, 4 प्रकरण राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के स्तर से निस्तारित किये गये। इसके अतिरिक्त 4 राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विधायी व 2 प्रकरण कार्यवाही संस्था/सम्बन्धित प्रभाग के स्तर पर गतिमान हैं। इन प्रकरणों का विस्तृत विवरण बोर्ड के समक्ष रखा गया।

एजेण्डा सं० 2- कॉर्बेट टाईगर रिजर्व व राजाजी टाईगर रिजर्व में प्रयोगिक तौर पर गैण्डे व जंगली कूत्तों का रिइन्ट्रडक्शन।

अवगत कराया गया कि कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में गैण्डे के इन्ट्रडक्शन हेतु एन०टी०सी०ए० एवं ए०बी०डब्ल्यू०एल० की अनुगति की आवश्यकता होगी। डब्ल्यू०आई०आई० द्वारा पूर्व में कराये गये प्रारंभिक स्टडी रिपोर्ट को एन०टी०सी०ए० को भेजा गया था, जिस पर एन०टी०सी०ए० द्वारा राइट ग्युटेबिलिटी आदि बिन्दुओं पर विस्तृत विवरण मांगा गया है। जिस हेतु डब्ल्यू०आई०आई० को विस्तृत डी०पी०आर० बनाये जाने हेतु कार्य सौंपा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त आसाम सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों को भी समानान्तर रूप से अनुरोध किया जा चुका है।

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि वांछित समस्त आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं की पूर्ति शीघ्र अति शीघ्र करने हेतु समयबद्ध तरीके से कार्यवाही की जाये एवं प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाय।

एजेण्डा सं० 3- जंगली सुअरों को वन क्षेत्रों के बाहर पीड़क वन्यजीव घोषित करने का अवधि विस्तार

बोर्ड को इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य में वनों से बाहर के पूर्व में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अतिरिक्त नये क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये पीड़क जंतु घोषित किये जाने की अधिसूचना के अवधि विस्तार हेतु भारत सरकार को किये गये पत्राचार की प्रगति से अवगत कराया गया। बोर्ड द्वारा प्रगति का संज्ञान लिया गया।

एजेण्डा सं० 4- बंदरों को वन क्षेत्रों के बाहर पीड़क वन्यजीव घोषित करना।

बोर्ड को इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य में वनों से बाहर के विनिर्दिष्ट पीड़क जंतु घोषित किये जाने की अधिसूचना के लिये भारत सरकार को किये गये पत्राचार की प्रगति से अवगत कराया गया। संज्ञान लिया गया।

एजेण्डा सं० 5- राजाजी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत चौरासी कूटिया के भावी नियोजन से सम्बन्धित हेरिटेज बर्ड ग्रुप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर चर्चा।

बोर्ड को अवगत कराया गया है कि एन०एम०एच०एस० परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में द्वितीय क्रिस्त रु० 87.00 लाख प्राप्त हुये है। जिसके अन्तर्गत ईकोरेस्टोरेशन व आजीविका की कार्यवाही की जा रही है।

बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि चौरासी कुटिया की भौगोलिक व सांस्कृतिक सम्पत्ता की बहुकोणीय स्थिति के मद्देनजर क्षेत्र विशेष में ऐसी किसी परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व विगिन पहलुओं पर गम्भीरता पूर्वक अध्ययन कर समेकित परियोजना तैयार की जाय। जिसमें प्राकृतिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक व आजीविका संबंधी पहलुओं का समावेश हो। आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त करने पर विचार कर लिया जाय। आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाय।

एजेण्डा सं० 6— गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित गरतांग गली ट्रेल में मार्ग का जीर्णोद्धार।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित गरतांग गली में पैदल मार्ग तथा लकड़ी का सीढ़ीनुमा मार्ग हेतु बी०ए०डी०पी० के अंतर्गत शासन द्वारा ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरकाशी को रु० 64.10 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी है।

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये कि वन विभाग को धनराशि प्राप्त होने पर लोक निर्माण विभाग को कार्यवाही संस्था नागित करते हुये कार्य कराया जाय। आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाय।

एजेण्डा सं० 2— अन्य बिन्दु मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चर्चा किए गये प्रकरणों पर अनुपालन आख्या।

8—क. गढ़वाल मण्डल विकास निगम की लॉट को पुनः प्रस्तुत करना —

बोर्ड को अवगत कराया गया कि राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा के 10 कि०मी० परिधि के अन्तर्गत यह प्रकरण होने के कारण एन०टी०सी०ए० के द्वारा क्षेत्र विशेष के परिप्रेक्ष्य में उठाये गये बिन्दुओं पर निदेशक, रा०टा०रि० द्वारा परीक्षण की कार्यवाही गतिमान है। आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से NBWL की स्टैडिंग कमेटी को प्रेषित किया जायेगा।

8—ख. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का रेशनलाईजेशन।

राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के समादर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का रेशनलाईजेशन के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। जिसमें सम्बन्धित जिलाधिकारियों, प्रभागीय वनाधिकारियों एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया है।

बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के रेशनलाईजेशन का सुसंगत व अन्तिम प्रस्ताव 4 माह के भीतर शासन/बोर्ड के समक्ष

प्रस्तुत किया जाय।

8-ग. संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों के विस्थापन के बाद वन भूमि पर बसाये गये नये स्थलों का निर्वनीकरण/डिनोटिफिकेशन।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि काँबेट टाइगर रिजर्व के लालढांग गांव व राजाजी टाइगर रिजर्व के खाण्डगांव को बसाये गये स्थानों क्रमशः तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आगापोखरा व गानपुर फिरोजपुर वन ब्लॉक व देहरादून वन प्रभाग की त्रयिकेश रेंज के अन्तर्गत लालपानी कक्ष के निर्वनीकरण/डिनोटिफिकेशन के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं।

बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों गांवों को शीघ्र denotify/dereserve किये जाने की कार्यवाही की जाय।

8-घ. संरक्षित क्षेत्रों में लीज का निर्वनीकरण

बोर्ड को अवगत कराया गया कि संरक्षित वन क्षेत्रों में 1980 से पूर्व लीज के निर्वनीकरण हेतु भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जानी है।

बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव शीघ्र समयबद्ध तरीके से तैयार किया जाय।

8-ड. आरक्षित वन क्षेत्रों में टोंगिया ग्रामों को राजस्व ग्रामों का दर्जा दिया जाना।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि राजाजी टाइगर रिजर्व के हजारों ग्रान्ट टोंगिया गांव को विस्थापन के पश्चात् राजस्व ग्रामों का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में विरथ की नीति की आवश्यकता है। टीरा व रसूल टोंगिया के सर्वे का कार्य आरम्भ किया है।

बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त टोंगिया गांवों के अतिरिक्त हरिद्वार देहरादून, मैनीताल, चम्पावत व उधमसिंह नगर जगपद में संरक्षित क्षेत्रों में स्थित अन्य टोंगिया गांव के प्रस्ताव शीघ्र समयबद्ध तरीके से तैयार किया जाय व तीन माह व अन्तर्गत सुविचारित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाय।

एजेण्डा संख्या:-3- संरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत एवं संरक्षित क्षेत्रों के 10 किमी० परिधि आने वाले वन भूमि हस्तान्तरण एवं अन्य प्रकरणों पर निर्णय लिया जाना।

प्रस्ताव	प्रयोक्ता एजेंसी	संरक्षित क्षेत्र/वन प्रभाग का नाम	बोर्ड का निर्णय
1- जनपद हरिद्वार तहसील- भगवानपुर के ग्राम बन्जारेवाला ग्रान्ट के अन्तर्गत कुल 15.00 हे० में उपलब्ध उप खनिज चुगान/खनन (बालू, बजरी एवं बोल्टर) हेतु NBWL की अनुमति का प्रस्ताव।	श्री सुधीर कुमार विन्डलास, 53-आर, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।	राजाजी टाइगर रिजर्व	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
2- जनपद हरिद्वार तहसील- भगवानपुर के ग्राम बन्जारेवाला ग्रान्ट के अन्तर्गत कुल 9.8780 हे० में उपलब्ध उप खनिज चुगान/खनन (बालू, बजरी एवं बोल्टर) हेतु NBWL की अनुमति का प्रस्ताव।	श्री सुधीर कुमार विन्डलास, 431-आर, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।	राजाजी टाइगर रिजर्व	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
3- जनपद हरिद्वार तहसील- भगवानपुर के ग्राम बन्जारेवाला ग्रान्ट के अन्तर्गत कुल 13.1610 हे० में उपलब्ध उप खनिज चुगान/खनन (बालू, बजरी एवं बोल्टर) हेतु NBWL की अनुमति का प्रस्ताव।	श्री सुधीर कुमार विन्डलास, 431-आर, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।	राजाजी टाइगर रिजर्व	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
4- ग्राम गंगापुर तहसील हल्द्वानी जिला- नैनीताल में स्टोन क्लेशन यूनिट हेतु राज्य वन्यजीव बोर्ड की अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मै० एल०एस०सी० इन्फ्राटेक लि०, कुमायूँ ऑक्सीजन कम्पाउण्ड, रामपुर रोड, ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।	प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

5-जनपद देहरादून के अन्तर्गत अधिकांश लाल पानी कक्ष संख्या-1 में दोस अपशिष्ट प्रबन्धन, निस्तारण एवं प्रोसेसिंग प्लांट हेतु 10 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु नगर निगम को लीज पर दिये जाने के संबंध में।	मुख्य नगर आयुक्त, अधिकांश	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
6-उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जनपद नैनीताल के तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र की नदी तल कोसी-दाबका भाग-2 नदी से उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
7-उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा रामनगर वन प्रभाग के कालाईगी राजि के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र की नदी तल निहाल से उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
8-उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के शिवपुरी राजि के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी तल से उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

9-आरक्षित वन क्षेत्र को जनपद हरिद्वार स्थित गंगा की सहायक नदी स्वासन नदी स्वासन- प्रथम व स्वासन- द्वितीय से उपखनिज युगान/ निकासी बावत प्रवृत्त राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद् की अनुमति की अवधि संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड विकास निगम	प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
10--Wildlife clearance proposal for "Improvement, up-gradation and construction of Ganeshpur- Dehradun road section (NH- 72A) in the state of Uttar Pradesh (Design Chainage km 0+0 to km 16+115) and Uttarakhand (Design chainage 15+830 to km 19+746) to 4 lane configurations	महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक, पी0आई0यू0-देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।	बोर्ड द्वारा इस परियोजना की संस्तुति की गयी परन्तु राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को नहीं भेजे जाने की संस्तुति की गयी। क्योंकि यह राजमार्ग 100 कि0मी0 से कम लम्बाई होने के कारण इसके लिये एन्वाइरोमेंटल क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं है। यदि वन पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से वाइल्डलाइफ क्लीयरेंस की आवश्यकता सूचित की गई तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

11-जंगमद अल्गोडा के अन्तर्गत नरवृत्ता से मोहान तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल लाइन बिछाने हेतु सिविल/आसक्ति वन भूमि का विन्यास ऐलीलिक लिमिटेड ई0पी0सी0 डिविजन सहस्रधारा रोड देहरादून को अनुमति विषयक।	विन्यास ऐलीलिक लिमिटेड ई0पी0सी0 डिविजन सहस्रधारा रोड देहरादून	कॉन्वेट टाइगर रिजर्व	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या F.No 6-175/2017 WL दिनांक 19 फरवरी 2018 के अनुसार स्वीकृत किया गया। प्रकरण में सशर्त अनुमति सम्बन्धी अग्रोत्तर कार्यवाही मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के स्तर से की जायेगी।
12-सुमला से पांगला 1 रोड 11.85 कि0मी0 लम्बे मार्ग हेतु 30.39 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमत हेतु प्रस्ताव।	भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिये सड़क निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सीमा सड़क मण्डल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल	उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
13-त्रिपाणी से रंगमचगाड 6.21 कि0मी0 लम्बे मार्ग हेतु 11.218 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमत हेतु प्रस्ताव।	भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिये सड़क निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सीमा सड़क मण्डल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल	उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
14-मेण्डी से सांगचोक्ला रोड 17.60 कि0मी0 लम्बे मार्ग हेतु 31.76 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमत हेतु प्रस्ताव।	भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिये सड़क निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सीमा सड़क मण्डल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल	उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

5-सोम बांध (पेयजल) परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण (127.6712 हे0) हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति का प्रस्ताव।	Infrastructure (Rehab) Division Rishikesh, Dehradun.	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
16-देहरादून स्थित जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के हेतु उड्डयन विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण (87.0815 हे0) हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति का प्रस्ताव।	Uttarakhand Civil Aviation Development Authority, Dehradun.	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
17- किमसार- भोगपुर मोटर रोड	वन विभाग	राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा सं० ४— अन्य बिन्दु मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-

(क) वन्य जीव संरक्षण की धारा ७ (२) के अन्तर्गत राज्य वन्यजीव बोर्ड को कार्यवाही की प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मा० वन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्टैन्डिंग कमेटी गठित कर ली जाय, जिसके सदस्य सचिव मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक होंगे एवं प्रत्येक मास कम से कम एक बैठक आयोजित की जायेगी। इस स्टैन्डिंग कमेटी के अन्य सदस्यों को नामित करने हेतु मा० मुख्य मंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

(ख) राजाजी टाईगर रिजर्व के निर्माणाधीन कन्जरवेशन प्लान को आगामी तीन माह में अन्तिम रूप देकर शासन के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जाय।

बैठक के अंत में सदस्य सचिव/प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, श्री राजीव भरतरी द्वारा मा० मुख्यमंत्री, मा० वनमंत्री, मुख्य सचिव तथा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों व बैठक में उपस्थित अधिकारी गणों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(राजीव भरतरी) 30/6/20
सदस्य सचिव,

राज्य वन्यजीव परिषद्, उत्तराखण्ड/
प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

Append

(अश्विनी बर्द्धन)
प्रमुख सचिव
वन एवं पर्यावरण, आदिकारी
उत्तराखण्ड शासन।